न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 06/2024
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

विनोद कुमार पुत्र श्री दाताराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ अप्रार्थी

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री महावीर बेरड – प्रार्थी

आदेश दिनांक :– 30.04.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 191/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 191/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम हरदत अंकित है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड पहचान पत्र राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम दाताराम अंकित है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व राजस्व रिकार्ड आधार कार्ड बैंक पासबुक राशनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों आदि में अलग अलग होने के कारण उक्त दस्तावेजों को एक साथ प्रस्तुत करने पर विरोधाभास दिखाई देता है। इस कारण प्रार्थी को बैक ऋण लेने राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में दिये जाने वाले अनुदान अन्य दस्तावेजों बनवाने तथा किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य करवाने में कठिनाई होती है या कई कार्य हो नही हो पाते। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम दाताराम ही है जो प्रार्थी के आधार कार्ड पहचान पत्र पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में अंकित है। तहसील संगरिया के चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 191/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम हरदत के स्थान पर दाताराम अंकित करवाना चाहता है। जो कि काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थी ने अपना राजस्व रिकार्ड देखा तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भिन्न–भिन्न अंकित है तब प्रार्थी ने हल्का पट[illegible] पटवारी ने बताया कि पहले अदालत का आदेश लेकर आओ तभी राज[illegible] आपका नाम दुरूस्त किया जायेगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तु[illegible] का कारण है [illegible] रिकार्ड एव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम भिन्न [illegible] अपरिमय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी को बैक ऋण लेने राज्य सरकार द्वारा कृ[illegible] में दिये जाने वाले अनुदान अन्य दस्तावेजों बनवाने तथा किसी प्रकार का सरकारी कार्य करवाने में कठिनाई हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.05.06 17:23:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील संगरिया के चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 191/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम हरदत्त के स्थान पर दाताराम अंकित करने के आदेश देने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर तथा सीमेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया एवं उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./1130 दिनांक 16.04.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 191/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प्रार्थी का नाम विनोद कुमार पुत्र हरदत्त दर्ज रिकार्ड है उक्त सम्वत की ऑनलाईन जमाबन्दी खाता संख्या 72/64 में प्रार्थी के पिता का नाम हरदत्त पुत्र रामरिख दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड राशन कार्ड बैक पास बुक में विनोद कुमार पुत्र दाताराम दर्ज है। इसलिए उक्त जमाबन्दी में विनोद कुमार पुत्र हरदत्त के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र दाताराम शुद्ध किया जाना उचित बतलाया है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से पेश चित्रप्रति आधार कार्ड व निर्वाचन पहचान पत्र एवं पैन कार्ड आदि से प्रार्थी का नाम विनोद कुमार पुत्र दाताराम साबित होता है तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुर्णतः सिद्व पाया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 191/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में विनोद कुमार पुत्र हरदत के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र दाताराम अंकित किया जावे तथा इसी मुताबिक वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे। शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन है तो यथावत रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.06 17:23:06
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया